अति तत्काल
फैक्स / स्पीड पोस्ट से

संख्या : 14/2/2012-ईओयू
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 19 मार्च, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय : ईओयू योजना के लिए 13 मार्च, 2012 को आयोजित की गई अनुमोदन बोर्ड की दूसरी बैठक (2012 सीरीज) का कार्यवृत्त

अधोहस्ताक्षरी को 13 मार्च, 2012 को आयोजित ईओयू योजना के लिए अनुमोदन बोर्ड की दूसरी बैठक (2012 सीरीज) के कार्यवृत्त की प्रति आवश्यक कार्रवाई के लिए इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. कृपया इस विभाग को अनुमोदन बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयों पर कार्यान्वयन रिपोर्ट प्राथमिकता आधार पर भेजें।

(संजीत सिंह)
निदेशक
टेलीफैक्स : 23062109
ई-मेल : sanjeet@nic.in

संलग्नक : यथोपरि

1. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
2. सीबीईसी (सदस्य, सीमा शुल्क), वित्त मंत्रालय
3. सीबीडीटी (सदस्य, आयकर), वित्त मंत्रालय
4. डीजीएफटी
5. संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
6. संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
7. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उदयम मंत्रालय
8. विकास आयुक्त, सीएसईजेड, एफएएसईजेड, आईएसईजेड, केएएसईजेड, एमएसईजेड, एनएसईजेड, एसईईपीजेड – एसईजेड और वीएसईजेड
9. महानिदेशक, ईपीसीईएस
10. सभी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय

प्रति प्रेषित : वाणिज्य सचिव के पीपीएस / अपर सचिव(एमपी) के पीपीएस / संयुक्त सचिव (एडब्ल्यू) के पीएस / निदेशक(एसएस) के पीएस

ईओयू योजना के लिए वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में 13 मार्च, 2012 को पूर्वाहन 10:00 बजे आयोजित अनुमोदन बोर्ड की दूसरी बैठक (2012 सीरीज) का कार्यवृत्त

वाणिज्य सचिव श्री राहुल खुल्लर की अध्यक्षता में कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में 13 मार्च, 2012 को ईओयू के लिए अनुमोदन बोर्ड की दूसरी बैठक (2012 सीरीज) हुई। प्रतिभागियों की सूची अनुबंध-1 के रूप में संलग्न है। अध्यक्ष महोदय ने बीओए के सभी सदस्यों का स्वागत किया और इसके बाद चर्चा के लिए एजेंडा लिया गया।

2.1(12) : 24 जनवरी, 2012 को आयोजित बीओए की पहली बैठक (2012 सीरीज) के कार्यवृत्त की पुष्टि

बोर्ड ने 24 जनवरी, 2012 को आयोजित बीओए की पहली बैठक (2012 सीरीज) के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

2.2(12) : मैसर्स ब्राडी कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड – आयातित कच्चे माल तथा निर्मित उत्पादों को नष्ट करने के लिए मंजूरी

अनुमोदन बोर्ड के निदेश के अनुसार सभी विकास आयुक्तों ने इस मामले में पूर्ववृत्त प्रस्तुत किया। विकास आयुक्तों की टिप्पणियों के आधार पर अनुमोदन बोर्ड ने कहा कि फील्ड स्तर पर विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.14(ख) को सही अर्थों में लागू किया गया है। इसलिए, अनुमोदन बोर्ड ने उपयुक्त सावधानियों के साथ बांडेड परिसरों के अंदर कच्ची सामग्रियों तथा निर्मित उत्पादों को नष्ट करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की तथा कहा कि विकास आयुक्त विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.14 के अनुसार एहतियात लागू कर सकते हैं और राजस्व विभाग को आवश्यक होने पर अपनी अधिसूचना में अनुकूल प्रावधान शामिल करने हेतु आवश्यक कदम उठाने का निदेश दिया।

2.3(12) : मैसर्स पिलकिंगटन आटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - प्री-इंजीनियर्ड बिल्डिंग स्ट्रक्चर के प्रापण के लिए कार्योत्तर अनुमोदन हेतु अनुरोध

सभी आयुक्तों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर यह कहा गया कि एचबीपी के पैरा 6.5.1(च) के अनुसार अनुमोदन बोर्ड ने औषधि, खाद्य उद्योगों की उत्पादन प्रक्रिया के लिए डस्ट फ्री परिवेश को बनाए रखने के लिए भवन संरचनाओं के प्रापण के लिए अनुमति प्रदान की है। समान तर्ज पर, इस अनुरोध को देखते हुए कि आवेदक द्वारा विंड स्क्रीन ग्लासेज के निर्माण हेतु फ्री परिवेश भी आवश्यक है, अनुमोदन बोर्ड ने एचबीपी के पैरा 6.5.1(च) के अनुसार प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

2.4(12) : मैसर्स जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड – एचवी टैंक के विनिर्माण में प्रयोग के लिए रिफर्बिस्ड / रि-इंजीनियर्ड पार्ट्स और कंपोनेंट का आयात

अनुमोदन बोर्ड ने इस मामले पर विकास आयुक्त, सीएसईजेड की विस्तृत रिपोर्ट पर चर्चा की। विकास

आयुक्त ने स्पष्ट किया कि इस प्रस्ताव पर कोई डीटीए प्रभाव नहीं है। समुचित विचार-विमर्श के बाद बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

2.5(12) : मैसर्स च्वाइस फूड प्रोडक्ट लिमिटेड – मौजूदा डीटीए का 100 प्रतिशत ईओयू में परितर्वन

अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि बासमती से भिन्न चावल के निर्यात की अनुमति प्रदान करने से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए बासमती से भिन्न चावल के निर्यात के लिए ईओयू को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बासमती से भिन्न चावल के निर्यात पर भावी प्रतिबंध की स्थिति में यूनिट को ईओयू योजना के तहत निर्यात की बाध्यताओं को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अत: अनुमोदन बोर्ड ने डीटीए यूनिट के ईओयू में परिवर्तन के प्रस्तम्र को मंजूरी प्रदान नहीं की।

2.6(12) : मैसर्स गुडरिच एयरो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड – विनिर्माण की मद (मदों) की ब्राड बैंडिंग के तहत अतिरिक्त मदों को शामिल करना

डीआईपीपी ने प्रस्ताव पर रक्षा मंत्रालय से परामर्श करने के लिए और समय देने का अनुरोध किया। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया।

2.7(12) : मैसर्स ग्लोबल न्यूट्रीफूड प्राइवेट लिमिटेड – मैसर्स ग्लोबल न्यूट्रीफूड प्राइवेट लिमिटेड द्‌वारा मैसर्स रेडी फूड्स लिमिटेड का अधिग्रहण

अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स ग्लोबल न्यूट्रीफूड प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि की बात सुनी। राजस्व विभाग ने मैसर्स मैसर्स रेडी फूड्स लिमिटेड की ईओयू यूनिट से उत्पन्न देयताओं से संबंधित सरोकारों को उठाया। निर्णय लिया गया कि इस मामले में निर्णय के लिए वाणिज्य विभाग द्‌वारा 19 मार्च, 2012 को संबंधित विभागों की बैठक अलग से बुलाई जाएगी।

2.8(12) : मैसर्स ली फार्मा लिमिटेड – विकास आयुक्त, वीएसईजेड द्‌वारा जारी किए गए आदेश के विरूद्‌ध अपील

प्रस्ताव को वापस ले लिया गया।

पूरक एजेंडा

2.9(12) : मैसर्स यूनिमिन इंडिया लिमिटेड – 31 मार्च, 2010 के बाद एलओपी का विस्तार

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष बीआईएफआर का निदेश दिनांक 5 मार्च, 2012 प्रस्तुत किया और सूचित किया कि बीआईएफआर ने संबंधित प्राधिकारी को 31 मार्च, 2010 के बाद एलओपी की अवधि बढ़ाने पर विचार करने का निदेश दिया है। तदनुसार, समुचित विचार-विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने ईओयू के मामले में बीआईएफआर द्‌वारा घोषित पुनरुद्‌धार पैकेज के अधीन तथा इसे सुगम बनाने के उद्‌देश्य से अगले पांच साल के लिए 31 मार्च, 2010 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया।

2.10(12) : मैसर्स प्रेमास – एक साल की अवधि के लिए डीटीए बिक्री की पात्रता का विस्तार

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने सूचित किया कि यूनिट अनुमोदन बोर्ड द्वारा अपनी तीसरी बैठक दिनांक 31 मई, 2011 में प्रदान की गई डीटीए बिक्री पर अनुमति का उपयोग नहीं कर सकी क्योंकि सीएसआईआर परियोजना के आर्डर पांच साल की पहली ब्लॉक अवधि की समाप्ति से पूर्व जारी नहीं हुए। अत: यूनिट ने पांच वर्ष के दूसरे ब्लाक में सीएसआईआर परियोजना के शेष आर्डर को निष्पादित करने हेतु आवश्यक अनुमति को अग्रनीत करने का अनुरोध किया। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने वर्तमान ब्लाक में पॉजिटिव एनएफई की प्राप्ति की शर्त के अधीन शेष आर्डर को निष्पादित करने के लिए डीटीए बिक्री को अग्रनीत करने की अनुमति प्रदान की।

***

भाग-2

अनुमोदन बोर्ड ने 1995 के प्रेस नोट संख्या 3 के अनुसार प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत विकास आयुक्तों / यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा प्रदान किए गए निम्नलिखित अनुमोदनों की पुष्टि की

(क)	जनवरी, 2012 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	सीएसईजेड
(ख)	अक्टूबर, 2011 से दिसंबर, 2011 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	एफएएसईजेड
(ग)	जनवरी, 2012 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	आईएसईजेड
(घ)	प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ	केएएसईजेड
(ङ)	दिसंबर, 2011 और जनवरी, 2012 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	एमएसईजेड
(च)	प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ	एनएसईजेड
(छ)	3 नवंबर, 2011 से 18 जनवरी, 2012 और 19 जनवरी, 2012 से 21 फरवरी, 2012 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	एसईईपीजेड
(ज)	1 जनवरी, 2012 से फरवरी, 2012 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	वीएसईजेड

प्रतिभागियों की सूची

1	श्री राहुल खुल्लर, वाणिज्य सचिव	अध्यक्ष
2	श्री ए के पुजारी, महानिदेशक, डीजीएफटी	
3	डा. अनूप वधावन, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग	
4	श्री संजीत सिंह, निदेशक, वाणिज्य विभाग	सदस्य सचिव
5	श्रीमती रूचिरा पंत, महानिदेशक (डीजीईपी), राजस्व विभाग	
6	श्री वाई एस सहरावत, अपर महानिदेशक (डीजीईपी), राजस्व विभाग	
7	डा. वेद प्रकाश, विकास आयुक्त, एसइईपीजेड – एसईजेड	
8	श्री एम एस राव, विकास आयुक्त, वीएसईजेड	
9	श्री सी पी एस बख्शी, विकास आयुक्त (प्रभारी), एनएसईजेड	
10	श्री प्रवीर कुमार, विकास आयुक्त, केएएसईजेड	
11	श्री अनिल बाम्बा, विकास आयुक्त केएएसईजेड	
12	श्री ए के राठौर, विकास आयुक्त, एसईजेड	
13	श्री रमन चोपड़ा, निदेशक (आईटीए-1), सीबीडीटी, राजस्व विभाग	
14	श्री मनोज कुमार अरोड़ा, डीजीईपी, सीबीईसी, राजस्व विभाग	
15	डा. एल बी सिंघल, संयुक्त डीजीएफटी, डीजीएफटी	
16	श्री डी ई रिचर्ड्स, निदेशक (एसआई), डीआईपीपी	
17	श्री जी मुथुराजा, अवर सचिव, वाणिज्य विभाग	
18	श्री ओ पी कपूर, उप डीजीएफटी, ईपीसीईएस	

***